न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या — 02/2019

अब्दुल रज्जाक पुत्र कालू खां जाति मुसलमान लौहार निवासी
ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन जिला अजमेर

......प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय पीसागन जिला अजमेर।

... अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 सपठित धारा 136 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 व्य0 प्र0 सं0</u>

उपस्थित :— श्री खीवराज शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी
श्री सुभाषचन्द गोयल — सरकार पेरोकार

—: निर्णय :— दिनांक 01.03.19

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक के यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 का अप्रार्थी के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन में जमाबदीं सवंत 2069—72 के अनुसार खाता संख्या 12 खसरा संख्या 4027, 4028 प्रार्थी की खरीदशुदा एकल खातेदारी की कृषि भूमि है । प्रार्थी परिवार में एकल पुरूष है तथा रोजी रोटी आदि में लगे होने से रोज अपनी उक्त आराजी पर नहीं जा पाता है अधिकतर बाहर रहता है। प्रार्थी उक्त आराजी की सीमा सूरक्षा आदि के लिये भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा उक्त खरीदशुदा आराजी का सीमाज्ञान दिनांक 15.03.2018 को करवाया जा चुका है जिसके बाद अप्रार्थी द्वारा दिनांक 19.12.18 को प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में पत्थरगढी के लिये आवेदन प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने के निर्देश दिये है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुए अप्रार्थी को उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सम्मन जारी किये गये। राजकीय पेरोकार ने अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है। प्रार्थी अपना पक्ष साबित करता है तो अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

मैने उभयपक्ष बहस सुनी । पत्रावली एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया , मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एंव तहसीलदार पीसागंन को आदेशित किया जाता है कि वह **ग्राम जेठाना तहसील पीसागंन में जमाबदीं सवंत 2069—72 के अनुसार खाता संख्या 12 खसरा संख्या 4027, 4028 पर प्रार्थी से नियमानुसार फीस ली जाकर सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जावे।** आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अविलम्ब अवगत करावें।

निर्णय आज दिनांक 01.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/03/19
उपखण्ड अधिकारी एंव
सहायक कलेक्टर
पीसांगन

उपखण्ड अधिकारी
पीसांगन (अजमेर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2019.11.28 18:28:35 IST
Reason: SelfAttested